मध्य प्रदेश शासन
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal–462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2018/11000 **DATE :01-01-2018**

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः—हज पॉलिसी 2018—22 में संशोधन के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने का कष्ट करें।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हज पॉलिसी 2018—22 में निम्नलिखित संशोधित किये गये हैं :—

1.) 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली ऐसी महिलाएं जिनके मेहरम न होने के कारण 4 के ग्रुप में हज आवेदन किये हैं उन्हें हज—2018 में बिना कुर्राअंदाज़ी के सफल घोषित किया जाएगा।

2.) 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले 2 हज आवेदकों के साथ 2 केम्पेनियन सहित 4 का 1 ग्रुप बनाने का हज कमेटी ऑफ इण्डिया के प्रस्ताव को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

उल्लेखित है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी को केवल एक आवेदन चार 45 वर्षया अधिक आयु वर्ग की महिलाओं से प्राप्त हुआ है। यह आवेदक महिलाएं देवास ज़िले की हैं इनके नाम इस प्रकार हैं कुमारी नफीसा बी, श्रीमति बिलकिस, श्रीमति अमीना बी एवं श्रीमति सलमा बी एवं उनका मोबाइल नम्बर 7869243341 है।

दिनांक 22—12—2017 की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी को कुल 20984 हज आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 557 आवेदन 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग श्रेणी के हैं। 4 आवेदन 45 वर्ष या अधिक आयु वर्ग श्रेणी की महिलाएं हैं। शेष 19372 आवेदन सामान्य श्रेणी के हैं।

सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए हज सीटों का कुरा 10 जनवरी 2018 तक की किसी तिथि तक खोला जाएगा जिसकी पूर्व सूचना समाचार माध्यमों को तथा वेबसाइट पर दी जाएगी।

(दाऊद अहमद खान)
सचिव
एवं कार्यपालन अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी